

प्रकरण सं.

7/2/2015

लक्ष्मी उमवान सत्यनारायण

हुक्म-या-कार्यवाही मय इनिशियल जज

संख्या सं. तारीख
अदालत जो इस
हुक्म की सामील
में जारी हुए

दिनांक

3/7/25

पत्रावली पेडा हुई) वादी आर्क्ष. उप.) वादी अनुपस्थित) वादी द्वारा साक्ष्यवादी पेडा नहीं) वादी की साक्ष्यवादी उल्लुत करि हेतु पदाति अनुसार दिने जाने के बावजूद भी साक्ष्यवादी पेडा नहीं किया गया) वादी द्वारा साक्ष्यवादी पेडा नहीं किये जाने से वादी स्वयं द्वारा उल्लुत बाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 एवं 188 राजस्थान काइतकारी अधिनियम को सिद्ध करने में असफल रहा है, साथ ही जारीवादी सं. 4 लगा. 6 द्वारा जवाब पेडा नहीं किया गया जिससे जारीवादी सं. 4 लगा. 6 का जवाब बंद किया गया तथा जारीवादी सं. 1 लगा. 3 के उपस्थित नहीं आने से एकताका कार्यवाही अदालत में जारी गई) इस प्रकार वादी द्वारा उल्लुत बाद का जारीवादीगण द्वारा जवाब पेडा नहीं करने से जारीवादीगण को कोई अनुत्तीर्ण उदल किया जाना सम्भव नहीं है)

वादी द्वारा उल्लुत बाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 एवं 188 राजस्थान काइतकारी अधिनियम को वादी साक्ष्यवादी पेडा नहीं करने के कारण सिद्ध करने में असफल रहा है) अतः वादी द्वारा उल्लुत बाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काइतकारी अधिनियम को खारिज किया जाना है)

निर्णय करे इजलास मुनाफा वाला पत्रावली फाइनल सुमार लेकर राजिल दफतर ही तथा तब्वर से कम हो।

3/7/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. लक्ष्मी पत्नी गिरधारी कीर आयु वयस्क निवासी भोपालगढ़ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
 2. शंकर लाल पुत्र गिरधारी कीर आयु वयस्क निवासी भोपालगढ़ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
 3. श्यामलाल पुत्र गिरधारी कीर आयु वयस्क निवासी भोपालगढ़ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
- वादीगण

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र श्रीरंगलाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी भोपालगढ़ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. भगवती लाल पुत्र श्रीरंगलाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी भोपालगढ़ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. देवी पुत्री नन्दा कीर आयु वयस्क निवासी भोपालगढ़ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. चम्पा पुत्र नन्दा आयु वयस्क निवासी भोपालगढ़ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. रोशनलाल पुत्र भवानीशंकर सुवालका निवासी देवली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. नारायण पिता भैरू खाती निवासी भोपालगढ़ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज0)
8. भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा गाडरमाला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा


— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 72/2015 राजस्व वाद

वादी अनुपस्थित एवं वादी अधिवक्ता श्री अम्बा लाल कुमावत उपस्थित — इस वाद में आज तारीख 03.07.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को वादी साक्ष्यवादी पेश नहीं करने के कारण सिद्ध करने में असफल रहने के कारण खारिज किया जाता है।


3/7/25
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

रा

रा